परिशिष्ट–1

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा ....विभाग बिहार पटना एवं चयनित/नियोजित होने वाले श्री/सुश्री/श्रीमती...के बीच निम्नांकित शर्तो के साथ की जा रही है:–

1. यह नियोजन केवल **कार्यपालक सहायक** के पद के लिए किया जायेगा।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर अस्थायी रूप से नियोजन की तिथि से विभागीय निदेशानुसार 03 माह के लिए होगी।
3. 03 माह के नियोजन अवधि में इस अंतरिम व्यवस्था अंतर्गत नियोजित सभी कार्यपालक सहायकों को बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा उर्तीण करना अनिवार्य होगा।
4. दक्षता परीक्षा में उर्तीण कार्यपालक सहायकों का नियोजन आवश्यकतानुसार 03 माह के उपरांत जारी रखा जा सकता है। अनुर्तीण कार्यपालक सहायकों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।
5. नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने के साथ–साथ इन सभी नियोजित कार्यपालक सहायकों का दक्षता परीक्षा आयोजित करने हेतु संबंधित नियोक्ता द्वारा इन नियोजित कार्यपालक सहायकों का ऑन लाईन निबंधन हेतु बेल्ट्रॉन से अनुरोध किया जाएगा तथा उक्त क्रम में सभी आवश्यक कार्रवाई ससमय पूर्ण की जाएगी।
6. बेल्ट्रॉन द्वारा निर्धारित शुल्क रु 1000/– प्रति अभ्यर्थी का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी/संबंधित विभाग/संबंधित कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
7. संविदा के आधार पर नियोजित श्री/सुश्री/श्रीमती ....को मासिक मानदेय के रूप में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्धारित मासिक मानदेय का भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
8. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगा।
9. इस आधार पर भविष्य में नियमित हेतु अथवा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगी।
10. नियोजित अभ्यर्थी संबंधित कार्यालय/विभाग में योगदान के समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
11. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।
12. नियोजित कार्यपालक सहायकों को (Computer Operating System (M.S Word, M.S Excel, M.S Powerpoint तथा Internet आदि) की बेसिक जानकारी होना अनिवार्य है। तद्नुसार उक्त कार्यो की समीक्षोपरान्त अयोग्य पाये जाने एवं उक्त कार्य की जानकारी नहीं रहने की स्थिति में नियोजित कार्यपालक सहायकों की सेवा समाप्त की जा सकती है।
13. संविदा आधारित कार्यपालक सहायक के पद पर सरकारी कर्मी होने का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
14. उपरोक्त एकरारनामा की सभी शर्ते मान्य होगी। एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंधन करने पर नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

संबंधित कार्यालय/विभाग के प्रधान का
हस्ताक्षर एवं मुहर

हस्ताक्षरः–
नामः–
पदनामः– कार्यपालक सहायक